



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 17.11.24

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 392/24 धारा 309(6) BNS से सम्बन्धित लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 लुटेरे अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लूटी हुई गाडी अर्टिका नं0 UP32TN3315 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.11.24 को थाना खेकड़ा पर वादी अखिलेश मिश्रा पुत्र श्री उमाशंकर मिश्रा निवासी ग्राम मिसरौली, थाना भीटी, जिला अम्बेडकरनगर हाल निवासी सरहौल, सेक्टर 18, थाना सेक्टर 18, गुरुग्राम हरियाणा ने सूचना दी कि दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के साथ मारपीट कर वादी की कार



अर्टिका नं0 UP32TN3315 व 01 मोबाइल सैमसंग लूट लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 392/24 धारा 309(6) BNS पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लूटेरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 392/24 धारा 309(6) BNS से सम्बन्धित लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 लुटेरे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लूटी हुई कार अर्टिका नं0 UP32TN3315 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । बरामदगी व विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) / 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. मौहम्मद अमजद पुत्र इकबाल निवासी ग्राम रोशनगढ़ थाना बालैनी जनपद बागपत हाल पता गली नंबर 4 करबा पसौंडा थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार अभियुक्त मौहम्मद अमजद का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 392/24 धारा 309(6) /317(2) / 3(5) BNS थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 281/2020 धारा 411/414/482 भादवि थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद ।
- 3-मु0अ0सं0 329/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद ।
- 4-मु0अ0सं0 531/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद ।
- 5-मु0अ0सं0 2378/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट ट्रांस हिण्डन जनपद गाजियाबाद ।
- 6-मु0अ0सं0 2442/20 धारा 482/411 भादवि थाना जीटीबी एंकलेव शहादरा दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण-

- लूटी हुई एक कार अर्टिका नं0 UP 32 TN 3315

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह परमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
2. उ0नि0 श्री नरेशपाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3.है0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4.का0 789 योगेन्द्र थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 17.11.24

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु.अ.सं. 289/24 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु.अ.सं. 289/24 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुड्डू उर्फ दिपांशु पुत्र सुरेश निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक अपराध श्री अश्वनी कुमार थाना छपरौली ।
2. का. 953 अंकुल कुमार थाना छपरौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 17.11.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 267/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/352/351(2)/115(2)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.11.24 को थाना बिनौली पर वादिया ने सूचना कि अभियुक्तगण 1.प्रमोद पुत्र गजे सिंह, 2.अनुज पुत्र प्रमोद, 3.अनिल उर्फ लीलू पुत्र जीत सिंह, 4.प्रवीण पुत्र सुबोध व 02 महिला समस्त निवासीगण ग्राम मालमाजरा द्वारा एक राय होकर लाठी डन्डो व



हथियारो से लेस होकर वादिया व वादिया के पति रमेशपाल के साथ गाली-गलौच कर लाठी डन्डो से मारपीट की व वादिया के पति रमेशपाल को अभियुक्त अनुज पुत्र प्रमोद द्वारा तमंचे से गोली मार दी जिससे वादिया के पति की मौके पर ही मृत्यु हो गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 267/24 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/352/351(2)/115(2)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 267/24 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/352/351(2)/115(2)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त अनुज की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27 आर्मस एक्ट की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-प्रमोद पुत्र गजे निवासी मालमाजरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-अनुज पुत्र प्रमोद निवासी मालमाजरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर एक खोखा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2- निरीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-का0 813 दोसेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

